सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.5.18

अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि चूंकि अब पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है व पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद इस बाबत् नहीं रहने के कारण अपीलांट अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते है। अपीलांट अपील इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते है। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विड्रावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश सहायक कलेक्टर, बीकानेर दिनांक 11–04–2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट ही उक्त अपील को जरिये राजीनामा विड्रा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को विड्रा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगें। लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।